न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर –मसूदा जिला अजमेर राज0

राजस्व मु0नं0 45/2012

1. श्री सुरेश कुमार पुत्र रामलाल जाति– जाट निवासी– जालिया द्वितिय तहसील–बिजयनगर जिला अजमेर ।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र सुवालाल जाति माली
2. कैलाश पुत्र सुवालाल जाति–माली
3. मंजू पुत्री सुवालाल जाति–माली
4. श्रीमति सुन्दरी पत्नि सुवालाल जाति–माली
5. श्रीमति अनोपी पत्नि हजारी जाति–माली
6. श्री नाथू पुत्र किशना जाति माली समस्त निवासीगण –जालिया द्वितिय तहसील बिजयनगर जिला अजमेर राज0 ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार–बिजयनगर ।

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना –पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम

–: **निर्णय** :– दिनांक :–29/5/15

इस प्रार्थना– पत्र में प्रार्थी ने साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम जालिया द्वितिय के पटवार हल्का प्रथम जालिय द्वितिय में प्रार्थी की आराजी ख0न0 722 कुआ , 723/6422 ,724,763 ,749 व 757 स्थित है ।

प्रार्थी अपने चाह नं0 722 से 3 फिट भूमिगत पाईप लाईन अप्रार्थीगण की आराजी 744 व 747 से होकर अपने खेत ख0न0 763 ,749 व 757 तक ले जाना चाहता है । अप्रार्थीगण को एतराज है । अतः नियमानुसार पाईप लाईन की अनुमति दिलवाई जावें।

पत्रावली आज मेघा लोक अदालत केम्प मुकाम जालियाद्वितिय पर पेश हुई । पक्षकारान उपस्थित । अप्रार्थीगण एंव प्रार्थी ने लोक अदालत की भावनावश आपसी राजीनामा कर पाईप लाईन डालने में लिखित सहमति दी ।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है और प्रार्थी को अप्रार्थीगण की आराजी ख0न0 744 व 747 में 3 फिट भूमिगत पाईप लाईन डालने की स्वीकृति दी जाती है। अप्रार्थीगण को इस कार्य मे दखलदांजी से निषेध किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 29-5-2015 को लोक अदालत केम्प मुकाम में सुनाय गया ।

उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.26 13:51:26 IST
Reason: SelfAttested